न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 175/2016

1 श्रीमती भगवती देवी पत्नी प्रभूदयाल जाति बलाई निवासी बलाईयों का मोहल्ला श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 साधूराम पुत्र पन्नाराम जाति बलाई।
2 श्रीमती सुनिता देवी पत्नी नरोतम जाति महाजन निवासीगण श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3 सुरेन्द्र कुमार पुत्र बिरदु।
4 मुकेश कुमार पुत्र बिरदु।
5 पप्पूराम पुत्र भागीरथ समस्त जाति बलाई निवासीगण खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
6 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2016 दावा संख्या 156/2016 बउनवानी श्रीमती भगवती बनाम साधुराम आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामचन्द्र बगड़िया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः–08.04.2022–

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 156/2016 में पारित निर्णय दिनांक 18.10.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट/वादिनी ने विचारण न्यायालय मे एक वाद बाबत उद्घोषणा बंटवारा इस आशय का पेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 253/2 रकबा 0.88 तन ग्राम विजयपुरा पटवार हल्का कांसरड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें 35/380 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 845/880 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के नाम व इसी ग्राम की तन में भूमि खसरा नम्बर 253/1 रकबा 0.50 हैक्टेयर में 55/500 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तथा 445/500 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम अंकित है। उक्त भूमियों में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हक हिस्सा व खातेदारी की भूमि को वादिया ने रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 10.02.2014 के द्वारा क्रय कर लिया व बाद खरीद अपने हक हिस्से पर काबिज चली आ रही है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ कर उसके स्थान पर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर, मौके पर किए गए बाहमी बंटवारा मुताबिक नजरी नक्शा पक्षकारो के मध्य बंटवारा किया जावे। उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर पक्षकारो ने दिनांक 16.09.2016 को राजीनामा प्रस्तुत कर वाद डिक्री किए जाने की प्रार्थना की, जिस पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 18.10.2016 को निर्णय पारित करते हुए वादिनी के वाद को चलने योग्य नही होना मानकर वाद खारिज करने की डिक्री पारित कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादिनी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद व वाद में चाहे गए विभाजन के अनुसार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वाद पत्र के साथ प्रस्तुत बंटवारे के नक्शे से स्पष्ट था कि भूमि खसरा नम्बर 253/1 रकबा 0.50 हैक्टेयर में से रकबा 0.44 हैक्टेयर प्रतिवादिनी संख्या 2 के हक हिस्से में है व खसरा नम्बर 253/1 में से 0.0550 हैक्टेयर वादिया के हक हिस्से में व खसरा नम्बर 253/2 रकबा 0.88 हैक्टेयर में से 0.0350 हैक्टेयर वादिया के हक हिस्से की रकबा 0.2816 हैक्टेयर प्रत्येक प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के हक हिस्से में आयी हुई है जो किसी भी रूप में छोटे–छोटे भूखण्डो में नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादिया/अपीलांट द्वारा वाद प्रस्तुत किए जाने व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात वाद को डिक्री किए जाने का सिविल प्रकिया संहिता में प्रावधान होते हुए भी वाद पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा दावा संख्या 156/2016 बउनवानी श्रीमती भगवती देवी बनाम साधूराम आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2016 को निरस्त किया जाकर वादिनी/अपीलांट का वाद डिक्री किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद व वाद में चाहे गए विभाजन के अनुसार वाद पत्र के साथ प्रस्तुत बंटवारे के नक्शे से स्पष्ट था कि भूमि खसरा नम्बर 253/1 रकबा 0.50 हैक्टेयर में से रकबा 0.44 हैक्टेयर प्रतिवादिनी संख्या 2 के हक हिस्से में है व खसरा नम्बर 253/1 में से 0.0550 हैक्टेयर वादिया के हक हिस्से में व खसरा नम्बर 253/2 रकबा 0.88 हैक्टेयर में से 0.0350 हैक्टेयर वादिया के हक हिस्से की रकबा 0.2816 हैक्टेयर प्रत्येक प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के हक हिस्से में आयी हुई है जो किसी भी रूप में छोटे–छोटे भूखण्डो में नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादिया/अपीलांट द्वारा वाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत किए जाने व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात वाद को डिक्री किए जाने का सिविल प्रकिया संहिता में प्रावधान होते हुए भी वाद पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को राजीनामे के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्ष को सुनकर विधिक जांच कर पुन गुणावगुण पर निर्णय के निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.04.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर